राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 11.05.2020

<u>आदेश</u>

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) से उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में राज्य में स्थित निजी चिकित्सालय/क्लीनिक/नर्सिंग होम कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम, आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराने व राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मरीजों का संख्या कम करने की अति महत्वपूर्ण कडी है तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में इनकी निर्णायक व महत्ती भूमिका है। राज्य में संचालित कई निजी चिकित्सालय इस विषम परिस्थिति में व्यापक लोक हित में आमजन के प्रति अपने नैतिक व व्यावसायिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे है। किन्तु राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि Containment Zone के बाहर स्थित कतिपय निजी चिकित्सालय/क्लीनिक/नर्सिंग होम द्वारा विसंक्रमण (Disinfection) व Fumigation के उद्देश्य से तथा कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) की आशंका के कारण आमजन को ओपीडी/आईपीडी/ आपातकालीन सेवाऐं समुचित रूप से उपलब्ध कराने में संकोच किया जा रहा है।

इस क्रम में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2020 की निरन्तरता में आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य के समस्त जिलों में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों (Containment Zone) के बाहर स्थित सभी निजी चिकित्सालय/क्लीनिक/नर्सिंग होम **(डेन्टल क्लीनिक को छोडकर)** संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके चिकित्सा संस्थान में आने वाले आमजन को उनके चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाऐं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुचिश्चित करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने चिकित्सा संस्थान में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के समस्त उपाय (यथा मास्क/सोशल डिस्टेन्सिंग/हैण्ड हाईजिन/सतह की सफाई (Surface Disinfection) लेबर रूम/ऑपरेशन थियेटर/प्रोसेजर रूम का Fumigation इत्यादि) किया जाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।

1. चिकित्सा संस्थान में आने वाले सभी मरीजों व उनके परिजनों का मास्क पहनना सुनिश्चित करें।
2. ऐसे मरीज जिन्हें बुखार, खांसी, इन्फ्लूऐंजा के समान बीमारी (ILI) व श्वांस लेने में गंभीर परेशानी (SARI) हो, उनके लिए परिसर में ही अलग से समस्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए अलग से ओपीडी संचालित की जावे तथा ऐसे मरीजों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक रूप से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवाई जावे।
3. कोरोना वायरस से संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति के आपातकालीन शल्य चिकित्सा/प्रसव हेतु आने पर उसकी शल्य क्रिया/प्रसव पृथक ऑपरेशन थियेटर/लेबर रूम में

11/05/2020

समस्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए पीपीई किट के साथ किया जाना सुनिश्चित करावें।

4. ऐसे मरीज के उपचार के पश्चात ऑपरेशन थियेटर/लेबर रूम की समुचित सतह की सफाई Surface Disinfection व Fumigation हर हाल में किया जाना सुनिश्चित करावें। संक्रमित सतह की सफाई 5 प्रतिशत Lysol या 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन से की जावें।
5. आकस्मिक संक्रमण (Accidental Contamination) होने पर संक्रमण के अग्रिम प्रसार को रोकने के लिए तत्काल क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया जावे।
5. निजी चिकित्सालय/क्लीनिक/नर्सिंग होम में संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति के आने पर उसका आपातकालीन उपचार करते हुए ऐसे मरीज से संबंधित समस्त सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करावें।
6. निजी चिकित्सालय/क्लीनिक/नर्सिंग होम के संचालक उनके चिकित्सा संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की सूची संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि आवश्यकता होने पर उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जा सके।
7. कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में स्थित निजी क्लीनिक/नर्सिंग होम को इन क्षेत्रों से कर्फ्यू हटने के पश्चात सक्षम स्तर से अनुमति पश्चात संचालित किये जा सकेंगे।

कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में आमजन को आवश्यक चिकित्सा सेवाऐं उन क्षेत्रों में संचालित राजकीय चिकित्सा संस्थानों तथा मोबाईल मेडिकल यूनिट/मोबाईल मेडिकल वैन/बेस एम्बूलेंस के द्वारा पूर्व की भांति उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी।

उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित निजी चिकित्सा संस्थान के संचालक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

11/05/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी कोविड-19, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
10. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज./समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.

(संजय कुमार) 11.5.2020
शासन उप सचिव

Status of ILI & SARI cases

Name of Hospital :						**Date**		
Total OPD -			Number of ILI Patient in OPD-			Number of SARI Patient in OPD-		
TOTAL IPD-			Number of ILI Patient in IPD-			Number of SARI Patient in IPD-		
SAMPLE COLLECTED FOR COVID-19-								

Linelist of SARI & ILI Patient

S. No.	Name	Father/Husband Name	Age	Gender	Address	Mobile Number	Date of Onset	Symptoms	Date of Sample (if required)	Result of test	Name of testing Lab